**न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।**

सत्र परीक्षण संख्या–400/2025
मुकदमा अपराध संख्या–371/2025
सरकार बनाम धर्मवीर सिंह।
दिनांक 05.11.2025

वाद पुकारा गया। अभियुक्त **धर्मवीर सिंह** न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।
आरोप विरचित किये जाने के संबंध में अभियुक्त एवं अभियोजक को सुना गया।
पत्रावली पर दाखिल तहरीर वादिनी मुकदमा, नक्शा नजरी घटनास्थल, शवविच्छेदन रिपोर्ट, आरोप पत्र, फर्द बरामदगी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि पत्रावली पर अभियुक्त **धर्मवीर सिंह** के विरूद्ध धारा–103(1), 123 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन वर्णित दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अधीन वर्णित दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किया गया।

अभियुक्त ने विरचित किये गये आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की याचना की।

पत्रावली दिनांक–17.11.2025 को साक्ष्य हेतु पेश हो। साक्षीगण को सम्मन जारी हो।

दिनांक 05.11.2025

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code-UP6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2025.11.05 16:36:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।**

सत्र परीक्षण संख्या–400/2025
मुकदमा अपराध संख्या–371/2025
सरकार बनाम धर्मवीर सिंह।

**आरोप**

मैं सुरेन्द्र मोहन सहाय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या आप अभियुक्त **धर्मवीर सिंह** को निम्न प्रकार आरोपित करता हूँः–

1.– यह कि दिनांक 27.06.2025 समय रात्रि 11 बजे के पश्चात व दिनांक 28.06.2025 को समय लगभग 01.00 बजे के मध्य किसी भी समय बहद स्थान ज्ञानेश चन्द्र श्रीवास्तव का मकान मोहवरा चौराहा (चूड़ामणि चौराहा), थाना–कोतवाली अयोध्या, जिला–अयोध्या में आप अभियुक्त ने सह अभियुक्ता के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा सोनी सिंह के पति राजेश कुमार सिंह की हत्या कारित करने के अपराध को सुकर बनाने के आशय से संवेदनशून्य करने वाली, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि (पेट्रिल एम.डी 0.5) खिलाकर आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो धारा–123 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन दण्डनीय है और न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2.– यह कि उपरोक्त समय, दिनांक व स्थान पर आप अभियुक्त ने सह अभियुक्ता के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा सोनी सिंह के पति राजेश कुमार सिंह, जो आपके साथ मार्केटिंग व्यवसाय संयुक्त रूप से करते थे तथा आपका खाना पीना भी मृतक के साथ होता था, आपने पैसे के लेन देन और मार्केटिंग को लेकर धर्मवीर सिंह की हत्या कर दी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन दण्डनीय है और न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः अतद्द्वारा आदिष्ट किया जाता है कि आपका परीक्षण उक्त आरोप में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 05.11.2025

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code-UP6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या

आरोपों को पढ़कर अभियुक्त को सुनाया गया। अभियुक्त ने ओरोपों से इन्कार किया तथा न्यायालय द्वारा परीक्षण किये जाने की माँग किया।

दिनांक 05.11.2025

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code-UP6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या